BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2023

IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION ………APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

..RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER PROGRESS REPORT ON BEHALF OF CHIEF ENGINEER, SONE, IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 19.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 21.01.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1.	

3.	**COPY OF THE AFFIDAVT DT. 04.11.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2**	
4.	**COPY OF THE LETTER DT. 22.01.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date:09.02.2026

Place: NOIDA

7123

NOTARY REGISTER
SL. No. 63 Year 2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2023 IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.
...RESPONDENTS

FURTHER PROGRESS REPORT ON BEHALF OF CHIEF ENGINEER, SONE, IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 19.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, S. K. Singh, aged about 55 years, presently posted as Chief Engineer, Sone, Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Vaibhav Naresh Gupta
Distt.- Varanasi
Regd. No. 9486
GOVT. OF INDIA

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That this O.A. pertains to the pivotal issue of defining and demarcating the Flood Plain Zone of River Ganga and its tributaries in the State of UP especially in reference to the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 and the action taken by the authorities for protecting the Flood Plain Zone.

4. That the present matter was last listed for hearing on 19.12.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"2. Learned Counsel for the State has submitted that the exercise of fixing the pillars at the ground level will be completed by 31.03.2026. He has submitted that the work of physical demarcation of the flood plain under this segment will be completed by 31.03.2026.

3. Hence, we direct the State of UP to file the further progress/status report atleast one week before the next date of hearing.

4. The National Institute of Hydrology vide its communication dated 17.04.2025 (page 6065) had recommended for placing the flood plain zone lines on the web portal for easy access to public. The said recommendation is as under:

"xxx……………………………………….xxx……………………………….xxx

8. Delineated flood plain overlaid on 1 m Contour map from SOI (District Varanasi, Sheet No. G44R03N) at 1:10000 Scale

9. Delineated flood plain overlaid on 1 m Contour map from SOI

NOTARY Vaibhav Narain Gupta Distt.- Varanasi Regd. No. 94… GOVT. OF INDIA 6/2/26

EE

(District Varanasi, Part of Sheet No. G44R03N) at 1:4000 Scale

It is recommended that the flood plain zone lines should be put on web portal for easy excess to the public and various developmental activities. Irrigation and Water resources Department U.P. should keep in his custody DEM, 1 m Contour maps and Flood Plain zone boundary and other relevant maps and GIS data for future use."

5. Learned Counsel for the State has submitted that the above recommendation will be duly complied with."

"6. Chief Engineer, Irrigation, Water Resources Department is directed to file further progress report atleast one week before the next date of hearing."

5. That it is submitted that in compliance of the aforementioned directions, the further progress report with respect to the same is herein as under:

II. PRESENT STATUS

6. The **process of physical demarcation** of River Ganga flood plain under **Segment-B, Phase-II (Unnao to Ballia) is presently ongoing.**

- A total of **7,350 flood plain boundary pillars** are proposed to be fixed across **13 districts** of Uttar Pradesh.
- **Flood plain delineation has been completed** in all districts based on approved technical criteria.

NOTARY Vaibhav Naresh Gupta Distt. Varanasi Regd. No. 91.. INDIA

- **Tendering process:** Completed and work awarded in all **13 districts.**

III. DISTRICT-WISE DETAILED PROGRESS

S. No.	District	Executing Division	Total Pillars to be fixed	Present Status
1.	Kanpur Nagar	Lower Ganga Canal Division, Kanpur	248	Tender process completed and work awarded to contractor; physical demarcation in progress; **150 pillars fixed**
2.	Unnao	Unnao Khand, Sharda Nahar	390	Tender process completed and work awarded to contractor; physical demarcation in progress; **100 pillars fixed**
3.	Fatehpur	Fatehpur Division, Lower Ganga Canal	720	Tender process completed and work awarded to contractor; physical demarcation in progress; **160 pillars fixed**
4.	Raebareli	Raebareli Division-10, Sharda Canal	400	Tender process completed and work awarded to contractor; physical demarcation in progress; **200 pillars fixed**
5.	Kaushambi	Irrigation Division, Kaushambi	422	Tender process completed and work awarded to contractor; physical demarcation in progress; **391 pillars fixed**
6.	Pratapgarh	Irrigation Division, Pratapgarh	261	Tender process completed and work awarded to contractor; physical demarca on in progress; **50 pillars fixed**

NOTARY Vijay Naresh Gupta Distt. Varanasi Regd. No. 9

EE

7.	Prayagraj	Flood Works Division, Prayagraj	1210	Tender process completed and work awarded to contractor; **600 pillars have been cast 270 Pillars fixed**.
8.	Mirzapur	Mirzapur Canal Division, Irrigation Division Chunar Mirzapur and Bandhi Division, Varanasi	968	Tender process completed and work awarded to contractor; **610 pillars have been cast 185 Pillars fixed.**
9.	Bhadohi	Bandhi Division, Varanasi	358	Tender process completed and work awarded to contractor; **180 pillars cast; fixing scheduled**
10.	Varanasi	Bandhi Division, Varanasi	363	Tender process completed and work awarded to contractor; **45 pillars cast; fixing scheduled**
11.	Chandauli	Bandhi Division, Varanasi	479	Tender process completed and work awarded to contractor; **80 pillars cast; fixing scheduled**
12.	Ghazipur	Irrigation Construction Division, Varanasi & Deokali Pump Canal Div.-1	957	Tender process completed and work awarded to contractor; **600 pillars have been cast 250 Pillars fixed.**
13.	Ballia	Flood Division, Ballia	574	Tender process completed and work awarded to contractor fixing scheduled.

NOTARY Vaibhav Naresh Gupta Distt.-Varanasi Regd. No. 9486 GOVT. OF INDIA

EE

IV. PROGRESS WITH RESPECT TO THE TRIBUTARIES OF GANGA

7. That further it is submitted that the progress report with respect to the tributaries of Ganga is herein as under:

S. No.	Name of River	Chief Engineer Concerned with Flood Plain Zone Delineation	Stretch	Reference of Hon'ble NGT O.A.	Final Date for Completion of Flood Plain Zone Delineation
1	Ganga (Segment B Phase-1)	Chief Engineer, Ganga	Bijnor to Kanpur	200/2014	Completed
	Ganga (Segment B Phase-2)	Chief Engineer, Information System Organization	Unnao to Ballia	200/2014	Completed
2	Yamuna	Chief Engineer, Ramganga	Asgarpur to Etawah and Shahpur to Prayagraj	673/2018	Completed
3	Kali (East)	Chief Engineer, Ganga	Muzaffarnagar to Gulawathi	673/2018	In Progress
4	Varuna	Chief Engineer, Son	Rameshwar to Varanasi	673/2018, 483/2022	In Progress
5	Hindon	Chief Engineer, Yamuna	Saharanpur to Ghaziabad	673/2018	In Progress
6	Gomti	Chief Engineer, Sharda Sahayak	Sitapur to Varanasi	673/2018	31.03.2027
7	Ramganga	Chief Engineer, Eastern Ganga	Moradabad to Kannauj	673/2018	June 2026
8	Betwa	Chief Engineer, Betwa	Hamirpur to Vagpura	673/2018	Under Process
9	Ghaghra	Chief Engineer, Gandak	Barhalganj to Deoria	673/2018	In Progress
10	Rapti	Chief Engineer, Gandak	Domingarh to Rajghat	673/2018	In Progress
11	Sai	Chief Engineer, Sharda Sahayak	Unnao to Jaunpur	673/2018	31.03.2027
12	Saryu	Chief Engineer, Gandak / Sharda Sahayak	Ayodhya to Ilfatganj	673/2018	31.03.2027
13	Suvav	Chief Engineer, Saryu-2	Entire Length	433/2022	Completed
14.	Tedhi	Chief Engineer, Saryu-1	Chittora Lake to Lolpur Vikamajot	402/2024	In Progress

NOTARY Vaibhav Naresh Gupta Distt.-Varanasi Regd. No. ... GOVT. OF INDIA

EE

S. No.	Name of River	Chief Engineer Concerned with Flood Plain Zone Delineation	Stretch	Reference of Hon'ble NGT O.A.	Final Date for Completion of Flood Plain Zone Delineation
15	Budhi Ganga	Chief Engineer, Ganga	Chausana Village to Khwajapura	511/2023	In Progress
16	Solani	Chief Engineer, Ganga	Raharanpur to Muzaffarnagar	632/2022	Completed
17	Khokhri	Chief Engineer, Yamuna	Dongri Dam to confluence with Sindh River	201/2024	Completed
18	Pandu	Chief Engineer, Ramganga	Entire Length	985/2019	In Progress
19	Noon	Chief Engineer, Ramganga	Entire Length	985/2019	In Progress
20	Sengur	Chief Engineer, Ramganga	Entire Length	985/2019	In Progress
21	Assi	Chief Engineer, Son	Entire Length	483/2022	In Progress
22	Ishan	Chief Engineer, Ramganga	Entire Length	515/2023	In Progress
23	Kali (West)	Chief Engineer, Ganga	Entire Length	515/2023	In Progress
24	Krishni	Chief Engineer, Ganga	Entire Length	515/2023	In Progress

V. STATUS OF PHYSICAL DEMARCATION OF RIVER YAMUNA

8. That with respect to river Yamuna the status is as under:

- The delineation work has been completed.
- The project has been formulated and duly approved by the Chief Engineer Committee.
- That the **Total Stretch from Asgarpur to Prayagraj is 1,056 kilometres**
- The estimation work is Complete.

NOTARY Vaibhav Naresh Gupta Distt.- Varanasi Regd. No. ... INDIA
9/2/25

EE

- The project has been approved by the Technical Audit Committee of Flood Control Council of Uttar Pradesh Govt.
- Project has been presented to the Steering Committee for approval.
- Project has been sent for approval to G.F.C.C (Ganga Flood Control Commission) vide dated 21.01.2026 by **the Superintending Engineer** Research & Planning Circle–3, Irrigation & Water Resources Department, Lucknow.

A Copy of the letter dt.21.01.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

- The work will start after approval of G.F.C.C (Ganga Flood Control Commission).

NOTE:

That with respect to District Gautam Buddh Nagar, the work of identification and physical demarcation of flood plain zone of River Yamuna has been completed by installing pillars at the said site. That the said information through Affidavit has been submitted in the matter of Deep Chandra Vs State of U.P. & Ors. (OA 131 OF 2025).

A Copy of the Affidavit has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

NOTARY Vaibhav Naresh Gupta Distt.-Varanasi Regd. No. GOVT. OF INDIA

EE

VI. INFORMATION TO BE UPLOADED ON THE WEBSITE

9. That in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the **Chief Engineer, Information System Organization (I.S.O.), Irrigation and Water Resources Department, Lucknow, Uttar Pradesh,** vide Letter 22.01.2026 to the Deponent has informed that the said information has been uploaded on the website and are available on the website of the Irrigation & Water Resources Department, the links of which are as under:

- Website of Irrigation & Water Resources Department, U.P., Lucknow:
  https://idup.gov.in/en/page/flood-plain-zone
- Website of Flood Management Information System Centre (FMISC), Lucknow:
  https://fmisc.up.gov.in/FloodPlainZone/FloodPlainZone.aspx

A Copy of the letter dt. 22.01.2026 and screenshots of the information uploaded has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

10. That in view of the above compliance, the present response is being respectfully submitted for the **kind perusal of this Hon'ble Tribunal,** and it is most humbly prayed that the same may be **taken on record.**

06/2/26

DEPONENT

NOTARY
Vaibhav Naresh Gupta
Distt.- Varanasi
Regd. No. ...
GOVT. OF INDIA
06/2/26

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 06 day of February, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

06/2/26

DEPONENT

NOTARY
Vaibhav Naresh Gupta
Distt. Varanasi
Regd. No. 9486
GOVT. OF INDIA

Before me.
SWORN & VERIFIED

06/02/2026

Vaibhav Naresh Gupta (Advocate)
NOTARY (Govt. of India)
Regd. No. 9486
Civil Courts Compound
Varanasi (U.P.) INDIA

ANNEXURE R-1

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-3,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।

पत्रांकः-32 /अनिमंतृ/यू-9 दिनांकः लखनऊः जनवरी 27 2026

विषयः- नवीन स्वीकृत बाढ़ परियोजनाओं का जी0एफ0सी0सी0 से Technical Appraisal के संबंध में।

निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय डा0 आर0एम0एल0 परिकल्प भवन तेलीबाग, लखनऊ।

उपरोक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गंगा सिंचाई भवन तेलीबाग, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 03 अदद परियोजनाएं तकनीकी-वित्तीय अप्रेजल/स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं जो निम्नवत हैः--00

1-असगरपुर से प्रयागराज तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड के आधार पर यमुना नदी में फ्लड प्लेन जॉन के निर्धारण हेतु सीमांकन कार्य की परियोजना। **(लागत रू0 1535.69 लाख)**

2- जनपद सीतापुर में सरयू/घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित चहलारी घाट गनेशपुर तटबंध के किमी0 21.800, किमी0 22.300 एवं किमी0 23.000 पर स्पर निर्माण कार्य की परियोजना। **(लागत रू0 2275.32 लाख)**

3-जनपद बाराबंकी में सरयू/घाघरा नदी के दाये तट पर स्थित चहलारीघाट-गणेशपुर के किमी0 42.025, किमी0 42.250 एवं किमी0 42.500 पर 03 अदद स्पर निर्णाण के कार्य की परियोजना। **(लागत रू0 1883.52 लाख)**

उक्त परियोजनाएं विभागीय उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की 60वीं बैठक दिनांक 12-12-2025 द्वारा अनुमोदित की गयी हैं।

उपरोक्तानुसार परियोजनाओं की तकनीकी-वित्तीय अप्रेजल/स्वीकृति हेतु एक-एक प्रति संलग्न करते हुए प्रेषित है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

27.01.2026

अधीक्षण अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-3

पत्रांकः- /अनिमंतृ/यू-9,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0) बाढ़ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।

2- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।

3-मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, कानपुर।

अधीक्षण अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-3

ANNEXURE R-2

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 131 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DEEP CHANDRA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 OF THE ORDER DT. 03.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 21.12.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE PHOTOGRAPHS OF THE PILLARS INSTALLED ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 16.03.2010 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3.	
5.	COPY OF THE LETTER DT. 01.10.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 04.11.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 131 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DEEP CHANDRA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENTS

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 OF THE ORDER DT. 03.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Binod Kumar Singh, aged about 46 years, S/o Shri Hiraman Singh, presently posted as Executive Engineer, Irrigation and Water Resources Department,U.P., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present matter, the applicant has raised grievance against the

GOVT. OF INDIA NOTARY RAKESH KAUSHAL Area DELHI Regn. No. 1082 Valid up to 7-1-2026 NOTARIAL

- 4 NOV 2025

illegal construction on the flood plain of river Yamuna in Noida is going on. That the applicant further alleges that several developers including Green Beauty Farms and numerous unidentified entities have subdivided and developed plots for farmhouses, nurseries, temples, gaushalas, etc; within the flood plain of river Yamuna at Noida.

4. That it is most respectfully submitted that with regard to the demarcation of the floodplain zone of the Yamuna River, the Government of Uttar Pradesh, vide Government Order dated 21.12.2024, in compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, passed in O.A. No. 673/2018 (Jacob Koshy vs. Union of India & Ors.) and O.A. No. 316/2022 (Dr. Sharad Gupta vs. State of Uttar Pradesh), has declared the Floodplain Zone of the Yamuna River for its critical reach ***"from Asgarpur to Etawah and from Shahpur to Prayagraj,"*** based on the 100-year return period of floods.

   A Copy of the Government Order dt. 21.12.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

5. That the Central Water Commission, New Delhi, in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 11.09.2024 in O.A. No. 673/2018 *Jacob Koshy vs. Union of India & Others* and O.A. No. 316/2022 *Dr. Sharad Gupta vs. State of Uttar Pradesh*, provided the geographical coordinates

NOTARY

- 4 NOV 2025

(Latitude & Longitude) of the floodplain zone for the aforesaid stretch through its communications dated 21.11.2024 and 30.11.2024, along with the final report. Based on the said coordinates, ground verification was completed by the respective divisions of the Irrigation and Water Resources Department by 05.12.2024.

6. Pursuant thereto, and as directed by the Hon'ble NGT, the Irrigation and Water Resources Department, Government of U.P., has installed demarcation pillars on the ground to physically mark the floodplain zone, in accordance with the latitude and longitude data provided by the Central Water Commission. The said physical demarcation has been undertaken in conformity with the Ganga Rejuvenation Order, 2016, based on the 100-year return period.

   Copy of the photographs of the pillars installed is annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

7. It is further submitted that the notified floodplain area falls within the jurisdiction of the NOIDA Development Authority, and the Irrigation Department has, from time to time, apprised the NOIDA Authority whenever instances of illegal or unauthorized activities within the notified floodplain area of the Yamuna River have come to its notice. That in all necessary actions undertaken by the NOIDA Authority in this

GOVT. OF INDIA NOTARY
- 4 NOV 2025

regard, the **Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh**, shall extend its **full cooperation**.**ANNEXURE R-3**

8. That as per Government Order No. 1417/27-C-2-181 Vardh/09 dated 16.03.2010, the floodplain zone of the Yamuna River falls within the notified area of the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), all related and effective actions shall be undertaken by the said Authority.

   A Copy of the Government Order dt. 16.03.2010 is annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

9. Furthermore, as per the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar's letter No. 1056/CRA Disaster Management/2020-21 dated 01.10.2020, the responsibility for taking action against illegal and unauthorized constructions in the floodplain areas of the Yamuna and Hindon rivers situated within the notified area of the NOIDA Authority has also been assigned to the concerned Authority.

   Copy of the letter dt. 01.10.2020 is annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

10. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area DELHI
Regn No 1082
Valid Upto -2026
NOTARY

4 NOV 2025

अभियन्ता (यमुना)

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 4TH day of November, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

GOVT. OF INDIA
RAKESH KAUSHAL
Area DELHI
Regn. No. 1082
Valid Up to 7-1-2026
NOTARY

ATTESTED

Notary Public, Delhi

- 4 NOV 2025

ANNEXURE R-1

महत्वपूर्ण

संख्या-685/2024/45एन0जी0टी0/2024-27-सिं0-4-11(रिट)(एन0जी0टी0)/2019

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में यमुना नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-673/2018 में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के निर्देश दिये गये है। पुनः ओ०ए० संख्या-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 के अन्तर्गत यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हाकंन की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को दिनांक 30.11.2024 तक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, को दिनांक 21.12.2024 तक गजट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु निर्देश दिये गये है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. तत्क्रम में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) दिनांक 21.11.2024 को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं पुनः दिनांक 30.11.2024 को अन्तिम रिपोर्ट (Latitude & Longitude) के साथ उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के मध्य पड़ने वाले जनपदों में खण्डों द्वारा ग्राउन्ड ट्रूथ वेरीफिकेशन दिनांक 05.12.2024 तक पूर्ण करा लिया गया है। यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) एवं आलेख, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालनार्थ फ्लड प्लेन जोन के गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ०ए० सं0-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं0-316/2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के प्रस्तर- 5,17 एवं 32 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

" 5- **II. Department of Irrigation**

Demarcation of the Flood Plain Zone in GIS format including the geo-coordinates or locations of marking pillars.

III. Other concerned departments of the State Government (District Administration, Mines Departments) Details of any other activities outside forest land, as complainant; such as earth cutting resulting in soil erosion/changing land use pattern.

17. Another reply/updated report was filed by District Magistrate, Agra vide email dated 17.11.2023 stating that for demarcation, 1,020 pillars have been installed after total station survey with the help of Differential Global Positioning System (hereinafter referred to as "DGPS"). It is further said that Central Water Commission (hereinafter referred to as "CWC") 13 vide office memorandum dated 05.09.2023 has constituted a "Committee for Flood Plain Zoning of river Yamuna" for the stretches:

(i) From Asgerpur to Itawah

(ii) From Shahpur to Prayagraj.

32. It means that in case report is submitted by 30.11.2024, requisite notification by State of UP shall be issued by 21.12.2024

5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं0-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं0-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) उपलब्ध कराये गये हैं।

6. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये 100 वर्ष में एक बार बाढ़ की प्रत्याशा में यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के

http://shasanadesh.up.gov.in

Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	गौतमबुद्ध नगर	संलग्नक-1
2.	अलीगढ	संलग्नक-2
3.	मथुरा	संलग्नक-3
4.	हाथरस	संलग्नक-4
5.	आगरा	संलग्नक-5
6.	फिरोजाबाद	संलग्नक-6
7.	इटावा	संलग्नक-7
8.	जालौन	संलग्नक-8
9.	औरैया	संलग्नक-9
10.	कानपुर देहात	संलग्नक-10
11.	हमीरपुर	संलग्नक-11
12.	कानपुर	संलग्नक-12
13.	फतेहपुर	संलग्नक-13
14.	बाँदा	संलग्नक-14
15.	चित्रकूट	संलग्नक-15
16	कौशाम्बी	संलग्नक-16
17	प्रयागराज	संलग्नक-17

http://shasanadesh.up.gov.in

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ०ए० सं०-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के

आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी एवं प्रयागराज में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें।

8. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,
डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-685/2024/45एन0जी0टी0 (1)/2024-27-सिं0-4-11(रिट)(एन0जी0टी0) /2019, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-7 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

ANNEXURE R-2

संलग्नक :- 2

GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFFJ+3FR Tree plantation, Sector 150, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.421396°
Long 77.481446°
06/10/24 11:54 AM GMT +05:30
Google

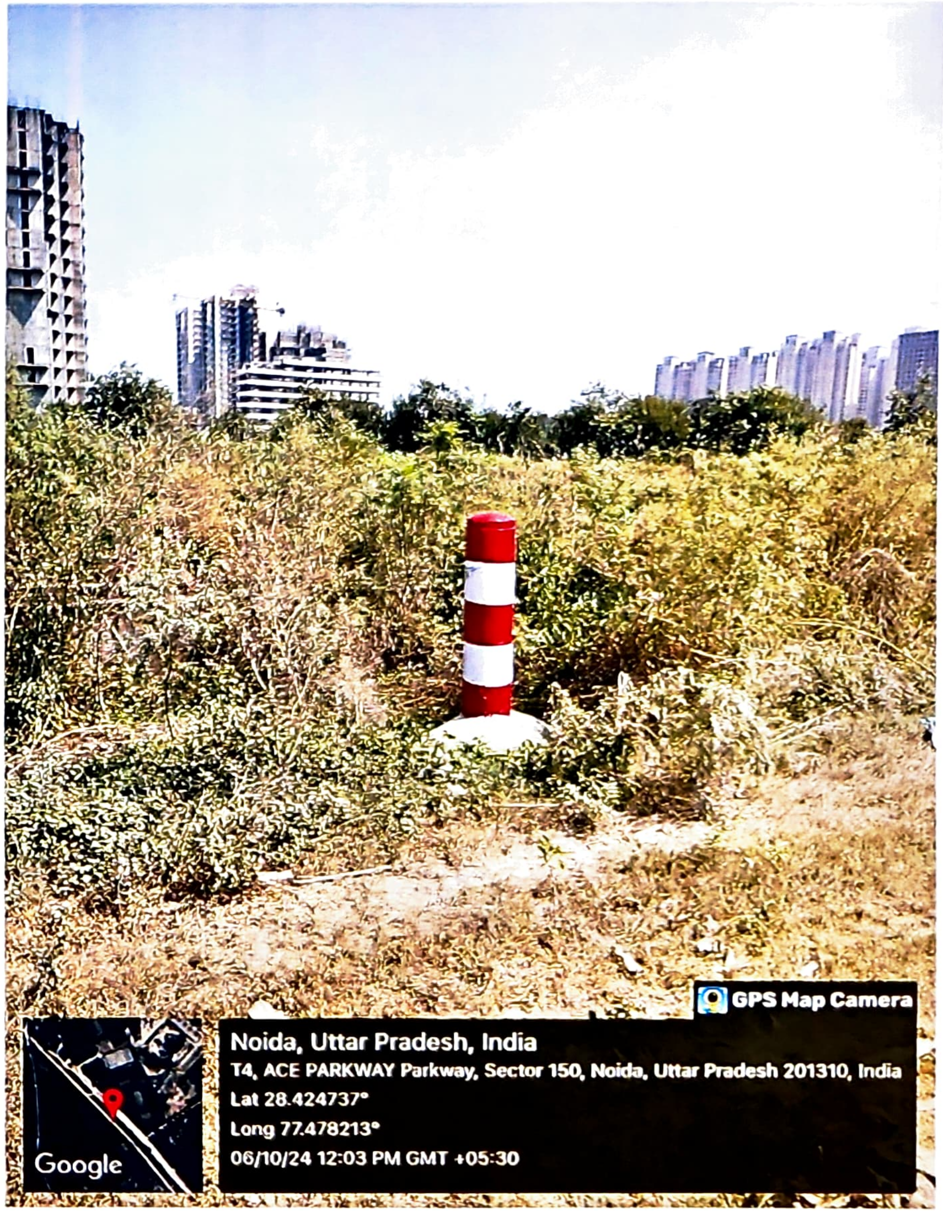
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
T4, ACE PARKWAY Parkway, Sector 150, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.424737°
Long 77.478213°
06/10/24 12:03 PM GMT +05:30
Google

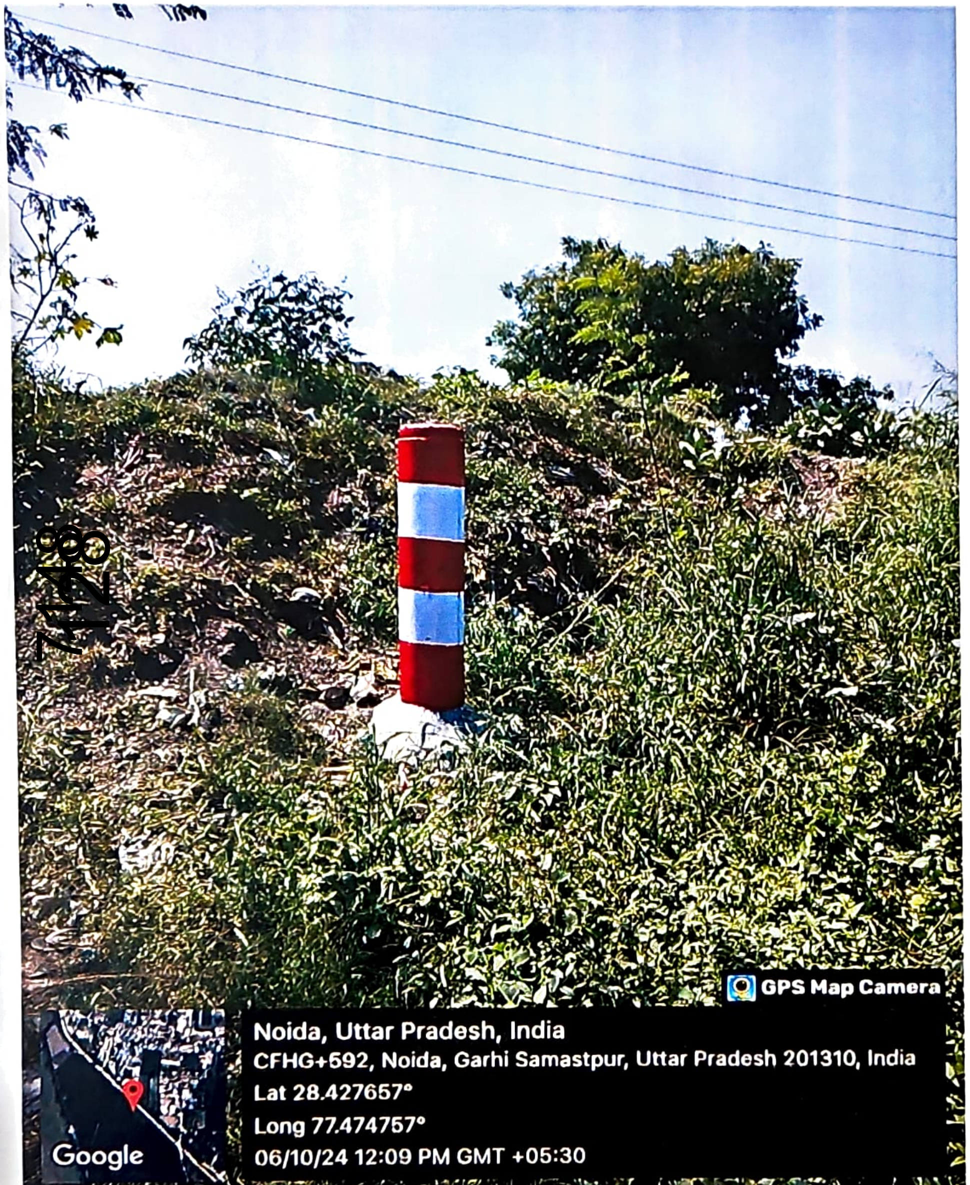
GPS Map Camera
Google
Noida, Uttar Pradesh, India
CFHG+592, Noida, Garhi Samastpur, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.427657°
Long 77.474757°
06/10/24 12:09 PM GMT +05:30

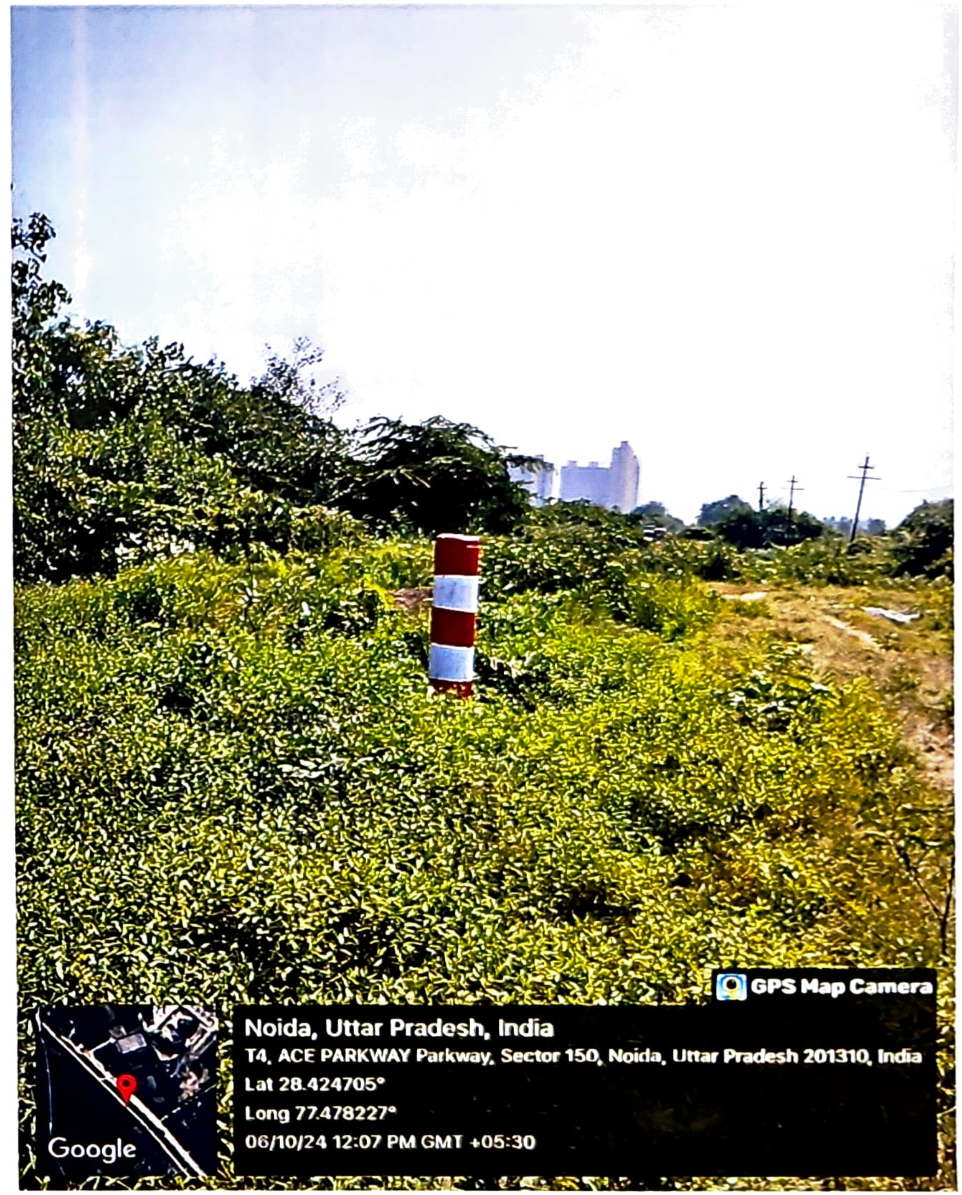
GPS Map Camera
Google
Noida, Uttar Pradesh, India
T4, ACE PARKWAY Parkway, Sector 150, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.424705°
Long 77.478227°
06/10/24 12:07 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Noida, Uttar Pradesh, India
Shiv Narayan Harsana G, Sector 149, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.434127°
Long 77.47216°
06/10/24 12:16 PM GMT +05:30

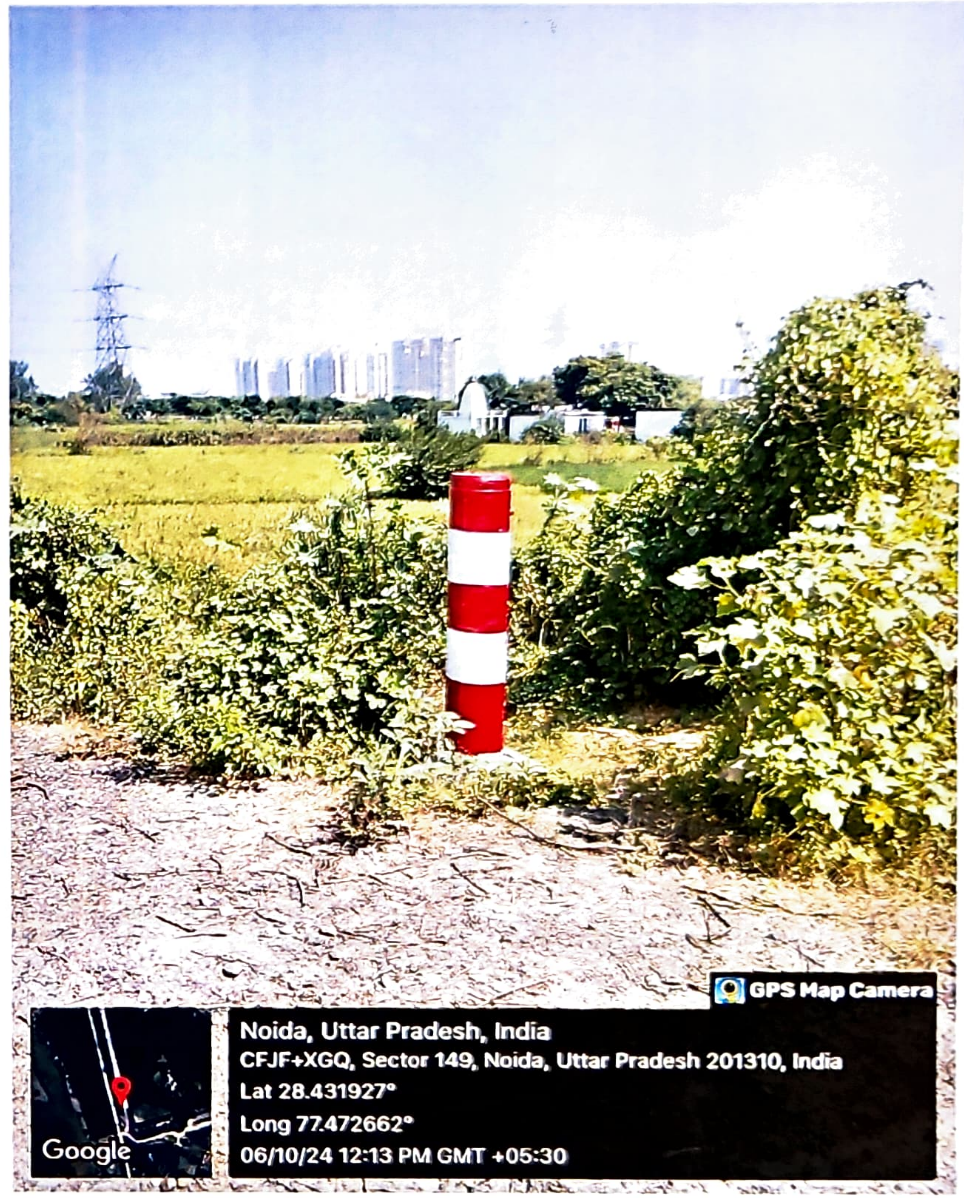
GPS Map Camera
Google
Noida, Uttar Pradesh, India
CFJF+XGQ, Sector 149, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.431927°
Long 77.472662°
06/10/24 12:13 PM GMT +05:30

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी)
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सैक्टर–6, जनपद गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /है0व0खं0/ दिनांक 2022

विषय– जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के संवंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के राजस्व कर्मियों द्वारा दिनांक 03.01.2024 को यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य डूब क्षेत्र के निरीक्षण में पाया गया कि बन्ध व नदी के मध्य ग्राम नगला नगली, वाजिदपुर, असदुल्लापुर, चकबसन्तपुर, चकमगरौला आदि तहसील सदर जनपद गौतमबुद्धनगर में अवैध फार्म हाउसों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अवैध निर्माण कर्ताओं को अवैध निर्माण को रोकने हेतु कहा गया और यह भी अवगत कराया गया कि 1471बी–27–सिं–2–181/बाढ़/09 दिनांक 16.3.2010 व मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 89/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 20.05.013 को दिये गये आदेशानुसार डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। इन अवैध निर्माण कार्यो के विरूद्ध प्राधिकरण व सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण कर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उक्त ग्राम प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित है। अतः आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो को रूकवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो पर रोक लग सके, तथा मा0 न्यायालय के आदेशों पालना सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर से अपेक्षित सहयोग आवश्यक हो तो कृपया अवगत कराना चाहें। अवैध निर्माण कार्यो से संबंधित फोटोग्राफ्स संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांक– 201 /**हैवखं/तद्दिनांक** 10-01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 22/स0अ0तृतीय दिनांक 22.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/01/2024

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली 25

प्रेषित,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी)
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सैक्टर–6, जनपद गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /है0व0खं0/ दिनांक 2022

विषय– जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्राम रायपुर खादर के पास डूब क्षेत्र में आर0एम0सी0 प्लान्ट के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्राम रायपुर खादर के पास डूब क्षेत्र में वृहद स्तर पर आर0एम0सी0 प्लान्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपके अधीन अधिसूचित क्षेत्र में आता है। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के क्रम में उक्त क्षेत्र को हरित रखा जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण को शीघ्र ही रूकवाने/ हटाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर से अपेक्षित सहयोग आवश्यक हो तो कृपया अवगत कराना चाहें। अवैध निर्माण से संबंधित फोटोग्राफ्स संलग्नक है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांक– 5042/**हैवखं**/तद्दिनांक 8/11/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद गौतमबुद्धनगर
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 532/स0अ0तृतीय दिनांक 06.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

8/11/2023

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पी
नवीन ओखला औधोगिक विकास प्राधिकरण
सैक्टर–6 जनपद–गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः– /है0व0ख0 / दिनांकः– 06/12/2023

विषयः–यमुना तटवर्ती बन्ध व यमुना नदी के मध्य ग्राम रायपुर खादर मे अवैध हॉट मिक्स प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम रायपुर खादर के पास डूब क्षेत्र में अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लान्ट/आर0एम0सी0प्लान्ट लगाया जा रहा है। जो कि आपके अधीन अधिसूचित क्षेत्र मे आता है। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के कम मे उक्त क्षेत्र को हरित रखा जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण को शीघ्र ही रूकवाने/हटाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर से आपेक्षित सहयोग आवश्यक हो तों कृपया अवगत कराना चाहे।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांकः–5348/है0व0ख0 / तदिनांकः– 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–जिलाधिकारी महोदय जनपद–गौतमबुद्धनगर।

2–सहायक अभियन्ता–तृतीय हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक–549/स0अ0तृतीय/दिनांक–22.11.23 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3–उपराजस्व अधिकारी हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला नई दिल्ली–25

06/12/2023

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

GDC

ANNEXURE R-3

संख्या–1417दीं–27–सि–2–181बाढ़/09

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

2. प्रमुख सचिव
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन

3. प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

4. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5. प्रमुख सचिव
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

6. प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

7. प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

8. प्रमुख सचिव
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

9. प्रमुख सचिव
सिंचाई एवं बाढ़
नियंत्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

10. पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

11. अध्यक्ष
जल निगम,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत
परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2010

सिंचाई अनुभाग–2

विषय : नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन ज़ोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण
बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर
बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जन–
माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय–समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये
गये हैं तथा आवास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1773/9–आ–1–1995,
दिनांक 18 मई, 1995 एवं शासनादेश संख्या–2432/9–आ–1 अतिक्रमण/2003 (आ.ब.), दिनांक
04 अप्रैल, 2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों
द्वारा कठोरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/
अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में
प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु
इन क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स
में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया
जाय।

(2) आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट–1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट
एक्ट–1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन ज़ोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं
दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने
हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर–(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, उसमें अतिक्रमण पाये जाने पर नार्दर्न इण्डिया
कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा–55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचना करते हुए अवैध
निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(4) जिलाधिकारियों द्वारा यू०पी० फ्लड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट–1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

(5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माणकारियों को सचेत किया जाय कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

(8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(9) अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्त्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाये।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–1417बी(1)/09–27–सिं–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर निगमों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. सिंचाई अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

ANNEXURE R-4

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1058/सी0आर0ए0--आपदा प्रबंधन/2020--21 दिनांक 01 अक्टूबर 2020

कार्यालय ज्ञाप

आपदा प्रबंधन अधिनियम--2005 की धारा--25 में दिये गये प्राविधानों के अनुरुप गौतमबुद्धनगर में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न हुई। उपरोक्त बैठक में जनपद में पूर्व में घटित आपदा सम्बन्धित घटनाओं और भविष्य में प्राकृतिक/मानव सृजित सम्भावित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु कतिपय निर्णय लिये गये हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–34 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनपद के सम्बन्धित विभागों के लिए कतिपय अनुसंशा की गयी है जो उपरोक्त बैठक दिनांक--30.09.2020 के कार्यवृति के प्रस्तर–30 के बिन्दु ए0 और बी0 पर वर्णित है।

अतः कार्यवृति की प्रति संलग्न करते हुए सम्बन्धित को अनुपालनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप आपदा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय एवं अनुसंशा के क्रम में तत्काल अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
02– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, से0–06 नोएडा।
03– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
04– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
05– पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
06– जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
07– समस्त सदस्य जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
08– समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उपजिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
09– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड गौतमबुद्धनगर।
10– सहायक आयुक्त एवं सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प पंजीयन(प्रथम/द्वितीय) गौतमबुद्धनगर।
11– संरिता उपनिबन्धक गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

जनपद गौतमबुद्धनगर मे नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बडे पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 मे दिये गये प्राविधानो के कम में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30.09.2020 का कार्यवृत्त।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के कम में जिलाधिकारी कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/सी0आर0ए0/2020-21, दिनांक 29.09.2020 द्वारा पुर्नगठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.09.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे जिलाधिकारी, कैम्प कार्यालय, सेक्टर-27, नौएडा पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में आहूत की गयी, जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बडे पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तथ्यों/बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया-

1- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अतर्गत ग्राम शाहबेरी में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति एवं भवन मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध एवं अनधिकृत तरीके से निर्मित निर्माणाधीन बहुमंजिले भवन एवं उसके समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के दिनांक 17.07.2018 को अकस्मात गिरने से 08 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त घटना के कम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या-ग्रे0नौ0/प्रोजेक्ट /वर्क सर्किल-4/2019/423, दिनांक 29.07.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को अवगत कराया गया था कि ग्राम शाहबेरी के क्षेत्र मे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2014 के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले सभी 431 बिल्डरो के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज हो एवं जिला प्रशासन द्वारा एन0एस0ए0/गैगस्टर की कार्यवाही कर जेल भेजा जाए। प्राधिकरण की सूचना अनुसार 426 अवैध बिल्डर भवनो मे 1567 परिवार रह रहे है। शेष फ्लैट/भवन को सील कराने एवं अवैध निर्माण न कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र संख्या-ग्रे.नो./मु.का.अ./2019/डब्लूसी-4/1619, दिनांक 30.04.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से अपेक्षा की गयी थी कि अधिग्रहण लम्बित होने एवं प्रश्नगत प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि के संबध मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित के स्थगन आदेश के दृष्टिगत सभी प्रकरणो की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये। विशेष परिस्थितियों मे कोई भी रजिस्ट्री जिलाधिकारी के लिखित अनुमति के न की जाये।

3- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक प्राधिकरण के उपरोक्तानुसार उल्लिखित पृच्छाओं के कम मे दिनांक 17.07.2018 को ग्राम शाहबेरी में कमजोर अवैध निर्माण के स्वतः ध्वस्त हो जाने के कारण घटित घटना मे जान-माल की हुई क्षति के दृष्टिगत थाना बिसरख मे मु0अ0सं0-586/18, धारा-304/427/288/337/338/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। ग्राम शाहबेरी मे हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध मे ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 75 अभियोग पंजीकृत कराये जा चुके है। जिनमे 52 अभियोग की विवेचना एस0आई0टी0 के सुपुर्द की गयी तथा 23 अभियोगो की विवेचना मे 03 अभियोगों मे अन्तिम रिपोर्ट तथा 18 अभियोगो मे आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान मे 30 अभियोगों की विवेचना एस0आई0टी0 मे प्रचलित है. 05 अभियोगो मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग स्टे किया गया है एवं 02 अभियोगों की विवेचना थाना बिसरख स्तर पर प्रचलित है। इसके

अतिरिक्त 18 गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग में 48 अभियुक्तों व उनकी कम्पनियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से गैंगस्टर के 02 अभियोगों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा 03 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है 13 अभियोग विवेचनाधीन है, 02 प्रकरणों मे गैंगस्टर के अतिरिक्त एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गयी है। एन0एस0ए0 की कार्यवाही । मा0 सलीम उर्फ शमसुद्दीन पुत्र स्व0 मकसूद नि0 सिराजी रोड मेरठ, 2 जमशेद खान पुत्र मनजीत खान नि0 210बी, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध की गयी है। गैंगस्टर अधि0 के 05 अभियोगों(69 फ्लैटस, 02 प्लॉट व 01 चार पहिया वाहन) में 14(1) की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में गैंगस्टर अधि0 के 08 अभियोगों(152 फ्लैट व 11 दो पहिया व चार पहिया वाहन) मे 14(1) की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

4- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या–सीए/सीपी–45/2020, दिनांक 30 जून, 2020, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित है, में उल्लेख किया गया है कि "ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के संलग्न पत्र संख्या–ग्रे0नो0/प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–1/2020/310, दिनांक 04.06.2020 के माध्यम से उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम शाहबेरी में अवैध रूप से 87 अर्धनिर्मित अधोमानक भवन, जिसमें कोई निवास नही कर रहा है, में कोई नवनिर्माण न होने पाये/नया परिवार आकर निवास न करने पाये एवं 163 भवनों को चिन्हित करते हुए सम्बन्धित बिल्डरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रापर्टी अटैच करने की कार्यवाही किये जाने हेतु ग्राम शाहबेरी स्थित पुलिस चौकी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 163 भवनों को चिन्हित किये जाने हेतु टीम का गठन किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित टीम ग्राम शाहबेरी में जाकर प्राधिकरण की पास ले आउट व आई0आई0टी0 रिपोर्ट के अनुसार मिलान करते हुए 163 भवनों को चिन्हीकरण किया जाना है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मालिकाना हक के सम्बन्ध में प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम में राजस्व विभाग के तहसील दादरी के लेखपाल श्री अमित कुमार भी शामिल कराना समीचीन होगा, जिन्हें शाहबेरी गांव का पूर्व का अनुभव प्राप्त है। उपरोक्त 163 भवनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु प्राधिकरण/प्रशासन स्तर से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।"

5- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–1660(1)/11–4–18–19जीएन/18, दिनांक 18.07.2018 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ग्राम शाहबेरी मे निर्माणाधीन भवन एवं समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के अकस्मात गिरने की घटना घटित होने पर निर्देश दिये गये थे कि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी अवैध निर्माण न हो। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आए तो इसे सम्बधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकुल तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

6- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या–नौएडा/ भूलेख/2020/2853, दिनांक 24.07.2020 द्वारा नौएडा के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम नंगली–नगला, दोस्तपुर मंगरौली, नगली वाजिदपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर, असगरपुर जागीर, सेहिल्लापुर आदि में श्री दिनेश त्यागी पुत्र श्री वेदप्रकाश त्यागी नि0 ग्राम बदसिया, हरियाणा व कुलदीप शर्मा नि0 फ्लेट नम्बर–1604 टावर नम्बर–02 लोटस जिंक, सैक्टर–135 नौएडा तथा श्री यदवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह हाल निवासी ग्राम नगली–नगला, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर व मूल निवासी ग्राम करहेड़ा, जिला गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से फार्म हाउसो का क्रय–विक्रय बाहरी व्यक्तियो को भ्रामक जानकारी देते हुए किया जा रहा है। अवैध फार्म हाउसों पर रोक लगाने एवं पुश्ते की सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित के विरुद्ध कठोरात्मक, विधिवत, यथा–गुण्डा/गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर से किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

7- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस [illegible] गौतमबुद्धनगर ने अपने पत्र संख्या सीए/सीपी 05/2020 अगस्त 2020 द्वारा हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में जो पुश्ता काल से पारस लेकर ग्राम [illegible] तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 10,000 है, जिसमें नदी में कभी भी जल स्तर बढ़ने पर सभी [illegible] को जन धन की हानि होने की सम्भावना है। इसलिए ऐसे स्थानों पर [illegible] लोग जिस प्रकार से अवैध कब्जा कर निर्माण/विस्तार किया गया है, के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग से यथावश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

8- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जनपद–गौतमबुद्धनगर में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(Flood Plain Zone) नौएडा, ग्रेटर नौएडा व यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, किन्तु प्राधिकरणों द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(Flood Plain Zone) की भूमि पर नियोजित विकास का कार्य नहीं किया जाता है और इन डूब क्षेत्रों में स्थित भूमि के निकट तक प्राधिकरण अवसंरचनात्मक/ नियोजित विकास कार्य कराते हैं, अतएव अनधिकृत कॉलोनी/प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया एवं भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले तत्वों को भोली–भाली जनता को सस्ते प्लाट का झाँसा देकर ठगी करने का अवसर प्राप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसी डूब क्षेत्र की भूमि के निकट तक प्राधिकरणों के पहुँच मार्ग उपलब्ध रहते हैं, इसलिए अनधिकृत एवं अवैध कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग/निर्माण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। यद्यपि प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती रहती है, परन्तु इसके बावजूद भी इस पर पूर्णविराम लगाना सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद–गौतमबुद्धनगर में सस्ती आवास सुविधा के लालच में आम जनमानस डूब क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा फैलाए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग के जाल में आसानी से फंस जाता है। विगत कई वर्षों से यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब–क्षेत्र में हुए अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कार्यों के मानव सृजित आपदा के रूप में जनधन की क्षति के प्रतिकूल स्थिति के उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है।

9- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3366/सिचाई/जी, दिनांक 29.12.2017 में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में भू–माफियाओं द्वारा अवैध/अनधिकृत कोलोनाइजेशन/ प्लाटिंग करके हिण्डन एवं यमुना नदी के प्रवाह (नदी की धारा) तक स्थायी मकान व व्यवसायिक उद्देश्य से दुकान आदि के रूप में स्थायी निर्माण कर लिये गये है, जिससे वहां पर आबादी नदी की पानी की धारा तक पहुंच गयी है, जिससे हिण्डन एवं यमुना नदी का बैक फ्लो एवं वर्षा के समय अधिक पानी की मात्रा आने पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहेगा। जैसाकि वर्ष 2013 के जून माह में उत्तराखण्ड में हुई मूसलाधार वर्षा ने नदी के साथ बसी आबादी में भारी तबाही मचाई थी तथा इसी तरह वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आने से नदी के डूब क्षेत्र में बसे ग्रामो व शहरी क्षेत्र में जन–धन की व्यापक क्षति हुई थी। हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में किये जा रहे अनियोजित, अनधिकृत एवं अवैध निर्माण के मानव सृजित कारणों से आपदाओं की विषम स्थिति में बड़े पैमाने पर जन–धन की हानि की प्रबल सम्भावना है।

10- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में अनियोजित विकास होने से उन इलाको में मलिन बस्तियां बढ़ जाएंगी, जिनमें वांछित अवस्थापना एवं नागरिक सुविधाओं का अत्यन्त अभाव होना स्वाभाविक है। इसके साथ डूब क्षेत्र में कराये जा रहे अनियोजित/अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों से ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों में भू माफिया तथा भू सम्पत्तियों के अवैध कारोबार को

गलत ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भोले भाले निर्दोष लोगों को आपदा की विषम स्थिति में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही आपदा प्राधिकरण के सदस्य मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर भूकम्पीय गतिविधियों की दृष्टि से सीस्मिक जोन–IV में स्थित है और अधिसूचित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत न कराने के कारण बहुमंजिली इमारतों में भूकम्परोधी तकनीकी का पालन नहीं किये जाने की सम्भावना है, जिससे भविष्य में किसी आपदा के आने पर बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है।

11- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों के महायोजना में हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में नियोजित किया गया है। जैसे कि नौएडा महायोजना-2031 में उपरोक्त नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में नियोजित करने के संबंध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं–

"Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed b roadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this is basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river bank and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drains. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development projet. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

12- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदियों का डूब क्षेत्र नौएडा, ग्रेटर नौएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नियंत्रण प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से ही है और इस सम्पूर्ण क्षेत्र का सभी प्रकार के विकास एवं रख-रखाव के दायित्व का निर्वहन भी तीनों प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

13- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Application no 89/2013, आकाश वशिष्ट एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20, मई 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अस्थाई एवं स्थायी प्रकृति के अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों को रोकने हेतु आदेश पारित किये गये है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मई, 2013 का सारवान अंश निम्नवत है:-

".....It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are

unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority. On the contrary, these Authorities including the Irrigation Department of State of Uttar Pradesh and other Authorities claim to have issued Notices to the persons who have raised unauthorized and Illegal constructions upon the flood plain of river Yamuna, but rarely of any effect.

It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river ***but even causes environment problems besides raising risk to human life and property.***

....

In view of the above circumstances, we hereby issue ad interim injunction restraining any illegal and unauthorizeo construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

We hereby direct the NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana to specifically file Plans/Maps showing extent of one in 25 years flood plain zones. ...."

14- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-5188/2011, मूल चन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनाँक 26.04.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

"......Once there is nothing on record to demonstrate that constructions have been carried out after map has been sanctioned then this Court cannot come to the rescue and reprieve of the petitioner and writ of mandamus cannot be issued by this Court directing the respondents not to demolish any constructions over the land in dispute i.e. residential house of the petitioners in their land situated at village Mamura district Gautam Buddha Nagar. Even if the land was not acquired by the State, the constructions were raised without seeking permission and the petitioner will have no right to claim any protection for such illegal constructions."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि अवैध निर्माण का विधिक स्वरूप आरम्भतः शून्य(void ab initio) है।

15- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1417बी(1) 09-27-सिं-02-18/वाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, सिंचाई के पत्र दिनाँक 19.09.2012 एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक दिनांक 20.06.2013 के अनुक्रम में जारी कार्यवृत्त दिनाँक 27.06.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरणों के अधिसूचित

क्षेत्र के अंतर्गत स्थित डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में होने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण क्षेत्र के विरूद्ध कार्यवाही हेतु तीनों प्राधिकरणों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

16· इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण अनुमन्य नहीं है। इस संबंध में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि.-6/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-1417बी (1) 09-27-सि0-2-18/बाढ दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या-1560/12-27-सि0-3-43एल/08टी0सी0, दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0, दिनांक 19.09.2012:-

"...........जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे0 में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी हैं। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.........."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

"........ यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए हैं, की है।.........."

17· जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अवैध निर्माणों को गिराने तथा नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(घ), 6(छ), 8(1) व 10 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

2(घ)- "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करें।

6(छ)- भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;

9(1)- कोई व्यक्ति, उपधारा(2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

10 - यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करें, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

18- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या- 2159/77-4-10-284भ/91 दिनांक 20.12.2010 द्वारा जारी ग्रेटर नोएडा इडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 के नियम 20.2 व 20.3 के संबंध में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन है, जो संरचात्मक रूप से असुरक्षित है तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनधिकृत विकास- अनाधिकृत विकास के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरूद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डिक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

19- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या- 2213/77-4-10-158एन/85 दिनांक 30.11.2010 द्वारा जारी नवीन ओखला विकास क्षेत्र भवन विनियमावली-2010 के नियम 20.2 व 20.3 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन है, जो संरचात्मक रूप से असुरक्षित है तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनधिकृत विकास-अनाधिकृत विकास के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरूद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डिक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

20- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING REGULATION, 2010 के नियम 24.1 में निम्नवत प्राविधान स्थापित किये गये हैं:-

24.1 Residential Buildings on plots (other than flatted group housing)

(1) Ground coverage, Floor Area Ratio, height and setbacks shall be as per Table-I appended to these regulations. However, the set back shall be applicable as per regulations prevailing at the time of initial allotment of sector.

(2) Other provisions:

(i) The directions of side, rear set back and gate shall be as per the Setback/ Layout Plan and directions prepared by the Authority from time to time.

(ii) In case of plots being amalgamated with the approval of the Authority, the set back lines in front and adjoining property are to be followed as per Setback Plan.

(iii) Subdivision of individual residential plot or building constructed on it shall not be allowed.

(iv) Only two dwelling units and a servant quarter shall be allowed upto a plot size of 100sqmtrs. For plots above 100 sqmtrs and upto 500sqmtrs maximum three dwelling units shall be allowed. For plots above 500 sqmtrs. maximum four 18 dwelling units shall be allowed. In density calculation 4.5 person per dwelling unit shall be considered in all kind of residential plots. Each servant quarter shall be counted as half dwelling unit.

(v) Stilt parking shall be allowed upto maximum height of 2.4 mtrs upto bottom of beam free from FAR for plot size of 112 sq mtrs and above. However, in case stilt is not provided, parking may be allowed in the setbacks.

(vi) No construction of any kind shall be permitted beyond the building envelope (on set backs) except—

(a) A chajja (projection) of maximum width of 0.75 metres at lintel or rooflevel. No construction of any type shall be permitted over such projections.

(b) Underground water tanks with top flush with the adjoining ground level.

(c) In plots of 200 square metre and above, if required, a temporary guard room of porta cabin 1.5 metre x 1.5 metre shall be permitted after approval by the Authority.

TABLE 0.1 (See regulation 24.1)

Ground Coverage, FAR and Setbacks In Residential Plots

S.No	Size of Plot(Sqmtr.)	Ground Coverage(In %age)	Front Setback(Mtr.)	Rear Setback (Mtr.)	Side Setback (Mtr.)	Maximum FAR
1	Upto 50.0	75	1.5	1.5	-	1.8
2	51 to 75	75	1.5	2.0	-	1.8
3	76 to 120	75	2.0	2.4	-	1.8
4	121 to 200	75	3.0	2.4	-	1.8
5	201 to 300	75	3.6	3.0	-	1.8
6	301 to 400	65	4.0	3.0	3.0	1.8
7	401 to 600	65	4.5	3.5	3.0	1.6
8	601 to 750	60	5.0	3.5	3.0	1.5

(i) Maximum building height in all size of plots shall be 15 Metres.

(ii) Total height shall be counted from top of drain to top of building without exception.

(iii) In case the permissible ground coverage is not achieved within setbacks, the setbacks of the preceding category may be followed. In special cases where ground coverage is not achieved in the preceding category also, then Chief Executive Officer may relax the setbacks to the extent he considers fit.

(iv) In the Residential Plots with in the permissible FAR and Ground Coverage equivalent of 40 % area of rear Set Back construction shall be allowed on either side/both side in the rear set back.

21. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2016 के अध्याय–नौ में प्राविधान है कि:

प्राधिकरण की ग्रामीण सम्पत्तियों का प्रबन्धन

30.0 ग्रामीण आबादी में भवन निर्माण:– इस विनियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण(नौएडा) में अधिसूचित ग्रामीण आबादी का क्षेत्रफल प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में ग्रामीण आबादी की अवधारणा के लिए मानदण्ड निम्नवत् होंगे:–

1. अधिसूचित नौएडा महायोजना–2031 के "विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र" में दर्शायी गयी ग्रामीण आबादी का चित्रण।
2. नौएडा महायोजना–2031 के "विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र" में दिये गये उपबंध के आलोक में मानचित्र स्वीकृति हेतु भू–उपयोग की छानबीन व संवीक्षा की जानी चाहिए।
3. मानचित्र की स्वीकृति पर विचार करने से पूर्व उपरोक्त संख्या–1 व 2 के मानदण्डों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए तथापि उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिहित समिति में नियोजन, भूलेख, अभियान्त्रिकी, विधि तथा वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारी और जिला गौतमबुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उक्त समिति को इस सीमा तक यह सुनिश्चित करने और पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए कि प्रस्तुत मानचित्र उपरोक्त मानदण्ड संख्या–1 एवं 2 में निर्दिष्ट ग्रामीण आबादी से संबंधित हो।
4. उपरोक्त मानदण्ड–3 में निर्दिष्ट समिति को प्रस्तुत किये गये मानचित्र के संबंध में निर्दिष्ट आबादी भूमि के पूर्ण और वादमुक्त हक/स्वामित्व/कब्जा की संवीक्षा भी करनी चाहिए।

30.1 सेटबेक

भूखण्ड का आकार	अग्र सेटबेक	पृष्ठ सेटबेक	कोने के भूखण्ड हेतु पार्श्व सेटबेक
200 वर्ग मी0 तक	2.0मी0		1.2मी0
201 से 500 वर्ग मी0	3.0मी0		1.2मी0
500 से 1000 वर्ग मी0	4.5मी0	3.0मी0	3.0मी0
1001 से 2000 वर्ग मी0	10.0मी0	4.5मी0	4.5मी0
2001 से 4000 वर्ग मी0	12.0मी0	6.0मी0	6.0मी0
4000 वर्ग मी0 से अधिक	15.0मी0	6.0मी0	6.0मी0

*500 वर्ग मी0 से अधिक आकार के सभी भूखण्डो के दोनों ओर पार्श्व सेटबेक प्रयोज्य होंगे(कोने के भूखण्ड सहित)।

30.2 भू–आच्छादन एवं फर्श क्षेत्रफल अनुपात

भूखण्ड का आकार	अधिकतम अनुमन्य भू–आच्छादन	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात (मी0)
200 वर्ग मी0 तक	80%	1.8
201 से 500 वर्ग मी0	75%	1.8
500 से 1000 वर्ग मी0	70%	1.8
1001 से 2000 वर्ग मी0	65%	1.8
2001 से 4000 वर्ग मी0	60%	1.8
4000 वर्ग मी0 से अधिक	55%	1.8

30.3 ऊँचाई

अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर

टिप्पणी– जहां अपेक्षित सेटबैक छोड़ने के पश्चात् दोनों ओर आबादी वाला भूखण्ड विद्यमान हो वहां 2.0 मी. स्थल सेटबैक छोड़ने के पश्चात भवन की सीमा के अन्तर्गत भू-गेह की अनुमति प्रदान की जायेगी। भू-गेह(फर्श से छत तक) की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम 2.4मी. और अधिकतम 4.0 मी होगी और इसका उपयोग पार्किंग और भण्डारण के लिए ही किया जायेगा।

22- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध एवं अनधिकृत ढंग से ग्राम–शाहबेरी में निर्मित बहुमंजिले भवन के अकस्मात गिरने से घटित घटना से मानवजनित हुई आपदा के कारण जनधन की क्षति और हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के संबंध में शासन के विभिन्न स्तरों से निर्गत निर्देशों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा/नौएडा एवं पुलिस आयुक्त के पत्रों से दो प्रकार की स्थितियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं–

(i) जहाँ एक ओर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम–शाहबेरी में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के कारण जो घटना घटित हुई थी, वह मानव सृजित आपदा की श्रेणी में आती है, जिसमें जानमाल का नुकसान भारी मात्रा में हुआ था, वहीं दूसरी ओर हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अनियंत्रित अवैध एवं अनधिकृत कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण, जो उपरोक्तानुसार उल्लिखित मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के विरूद्ध भी किये गये हैं, के कारण न केवल मानवजनित आपदा भविष्य मे सम्भावित है बल्कि इस मानवजनित अवैध एवं अनधिकृत कृत्य के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की भी सम्भावना बलवती रहेगी, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर जनधन की क्षति सम्भावित है, इसलिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ऐसी सम्भावित मानवजनित/प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत जनधन की क्षति को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब विचार किया जाना प्रासंगिक होगा।

(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र दिनांक 30.04.2020 के अन्तिम प्रस्तर के बिन्दु संख्या–1 में अपेक्षा की गयी है कि चूँकि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध व अनधिकृत निर्माणों के नही रूकने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब ऐसे अवैध/अनधिकृत निर्माणों से संबंधित भवनों/फ्लेटस के विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये।

(iii) इस संबंध में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की जो विनियमावली भी बनाई गयी है, जिसमें स्वतः स्पष्ट प्राविधान है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की अनुमति के बिना उनके अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की कार्यवाही नहीं हो सकती है अर्थात यह एक mandatory प्राविधान है।

(iv) उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत जहाँ एक ओर न केवल भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए किये जाने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को रोका जाना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए एवं डूब–क्षेत्र में सैद्धान्तिक रूप से आवासीय गतिविधियाँ अनुमन्य न होते बावजूद आवासीय उद्देश्य से अवैध एवं अनधिकृत ढंग से की जाने वाली कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण को भविष्य में मानवजनित/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावनाओं के दृष्टिगत जन धन की क्षति को बचाने के लिए न केवल अवैध एवं अनधिकृत निर्माण बल्कि इस प्रकार के निर्माण की उत्पत्ति के स्रोत क्रय–विक्रय को भी नियंत्रित किया जाना समीचीन होगा, ताकि भविष्य में किसी मानवजनित/प्राकृतिकजनित आपदा के कारण जन धन की क्षति की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

23- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के फलस्वरूप सम्भावित मानव/प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जन धन की क्षति को ध्यान में रखते हुए क्रय–विक्रय को नियंत्रित करने हेतु ऐसे विक्रय दस्तावेजों के निबन्धन के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के साथ कार्यालय आदेश संख्या–627 (1–10)

एस0टी0–डी0एम0/2019, दिनाँक 20.06.2010 निर्गत किया गया था, जिसमें निम्न... स्थापित किये गये है

"....पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जन धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिये डूब क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के क्रय विक्रय से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन हेतु प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 1417बी-27 सि0-2-81/बाढ़/09, दिनाँक 16.03.2010 क्रेता पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा प्रश्नगत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के विलेख को निबन्धन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा-

1– सिंचाई विभाग, द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रश्नगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) पर निर्माण किया जाना अनुमन्य होगा।

2- सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र कि प्रश्नगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) का भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों को पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब-क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लाट/भवन) के विलेख को पंजीकरण हेतु स्वीकार किया जाएगा।..."

24- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अवमानना वाद संख्या–6320/2019 श्रीमती राजन यादव बनाम श्री ब्रजेश नारायन सिंह, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रमशः दिनाँक 18.11.2019 व 05.12.2019 को निम्नवत आदेश पारित किया गया था–

Order dated on 18-11-2019

"....In the instructions dated 1.11.2019, the respondent has admitted that he has flouted the writ court order by restraining the Registrar, Registration from registering the transfer/sale deed. In view thereof, the respondent-Sri Brijesh Narain Singh, District Magistrate, Gautam Budh Nagar, shall show cause as to why charge may not be framed under the Contempt of Courts Act. List on 5 December 2019."

Order dated on 05-12-2019

".....Shri Sudhanshu Srivastava, learned counsel appearing for the opposite party submits that the order dated 20 June 2019, restraining the public to get the sale deed registered has been withdrawn vide order dated 5 December 2019. The report of the Sub Divisional Magistrate, Dadri, Gautam Buddh Nagar, dated 24 November 2019, has been placed on record, wherein, it has been noted that the owner/ purchaser of the land have raised constructions in violation of the writ court order without obtaining approval from the concerned local bodies or development authorities..."

25- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 70786/2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 08.03.2013 को पारित आदेश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त अवमानना वाद योजित किया गया था। याचिका संख्या 70786/2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 का सारवान अंश निम्नवत् है–

ANNEXURE R-3

7167

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
(सूचना प्रणाली संगठन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
तृतील तल, डा0 राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन,
तेलीबाग, लखनऊ।

पत्रांकः— 309 / मु0अभि0(सू0प्र0सं0) / 2025—26 लखनऊ, दिनांकः २२ जनवरी, 2026

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—515 / 2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक—19.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः—

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का अ0शा0 पत्रांक—59 / मुअजसं / अनिमं—1 / अनिख—3, दिनांक 20.01.2026
2. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक—48 / मु0अ0(ज0सं0) / अनिमं—1 / अनिख—3, दिनांक 19.01.2026
3. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक—18 / मु0अ0(ज0सं0) / अनिमं—1 / अनिख—3, दिनांक 08.01.2026

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संज्ञान लेने की कृपा करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक—19.12.2025 के अन्तर्गत पारित उक्त आदेश के प्रस्तर—4 व 5 में निम्नानुसार उल्लिखित है :—

4. The National Institute of Hydrology vide its communication dated 17.04.2025 (page 6065) had recommended for placing the flood plain zone lines on the web portal for easy access of public. The said recommendation is as under:

"xxx..xxx..xxx

8. Delineated flood plain overlaid on 1m Contour map from SOI (District Varanasi, Sheet No. G44R03N) at 1:10000 Scale

9. Delineated flood plain overlaid on 1m Contour map from SOI (District Varanasi, Part of Sheet No. G44R03N) at 1:4000 Scale

It is recommended that the flood plain zone lines should be put on web portal for easy excess to the public and various developmental activities. Irrigation and Water Resources Department U.P. should keep in his custody DEM, 1 m Contour maps and Flood Plain zone boundary and other relevant maps and GIS data for future use"

5. Learned Counsel for the State has submitted that the above recommendation will be duly complied with.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जनहित तथा विभिन्न कार्यों हेतु फ्लड प्लेन जोन लाइन डाटा को वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराने, साथ ही DEM डाटा, 01 मीटर कन्टूर मैप डाटा, फ्लड प्लेन जोन सीमांकन डाटा तथा अन्य सम्बन्धित नक्शे व GIS डाटा भविष्ट के उपयोगार्थ अपने पास संरक्षित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अवगतनीय है कि बाढ़ प्रबन्धन सूचना प्रणाली केन्द्र, लखनऊ (FMISC) द्वारा गंगा नदी पर उन्नाव से लेकर बलिया तक (जनपद कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर एवं बलिया) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) के माध्यम

Scanned with OKEN Scanner

से Delineation का कार्य कराया गया है। गंगा नदी के उन्नाव से बलिया तक Flood Plain zone के कार्य से सम्बन्धित 13 जनपदों का DEM data, 1 m Contour data, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) द्वारा उपलब्ध कराया गया Flood Plain zone का सीमांकन डाटा (निर्देशांक), सम्बन्धित नक्शे एवं GIS data बाढ़ प्रबन्धन सूचना प्रणाली केन्द्र, लखनऊ में संरक्षित हैं।

इस क्रम में, मा0 राष्टीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में NIH द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के मानचित्र, को–आर्डिनेट्स (Latitude & Longitude) एवं शासन के पत्र सं0–24/2025/107/2025–27–सिं0–4–16(रिट) (एन0जी0टी0)/2023, दिनांक 29.01.2025, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्नवत एवं स्नैपशॉट पत्र के साथ संलग्न है –

1. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की वेबसाइट लिंक https://idup.gov.in/en/page/flood-plain-zone
2. बाढ़ प्रबन्धन सूचना प्रणाली केन्द्र (FMISC), लखनऊ की वेबसाइट लिंक https://fmisc.up.gov.in/FloodPlainZone/FloodPlainZone.aspx

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

22/01/26

(सुप्रभात सिंह)
मुख्य अभियन्ता (सू0प्र0सं0)

पत्रांकः– /मु0अभि0(सू0प्र0सं0)/2025–26/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, एफ0एम0आई0एस0सी0, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(सुप्रभात सिंह)
मुख्य अभियन्ता (सू0प्र0सं0)

Scanned with OKEN Scanner

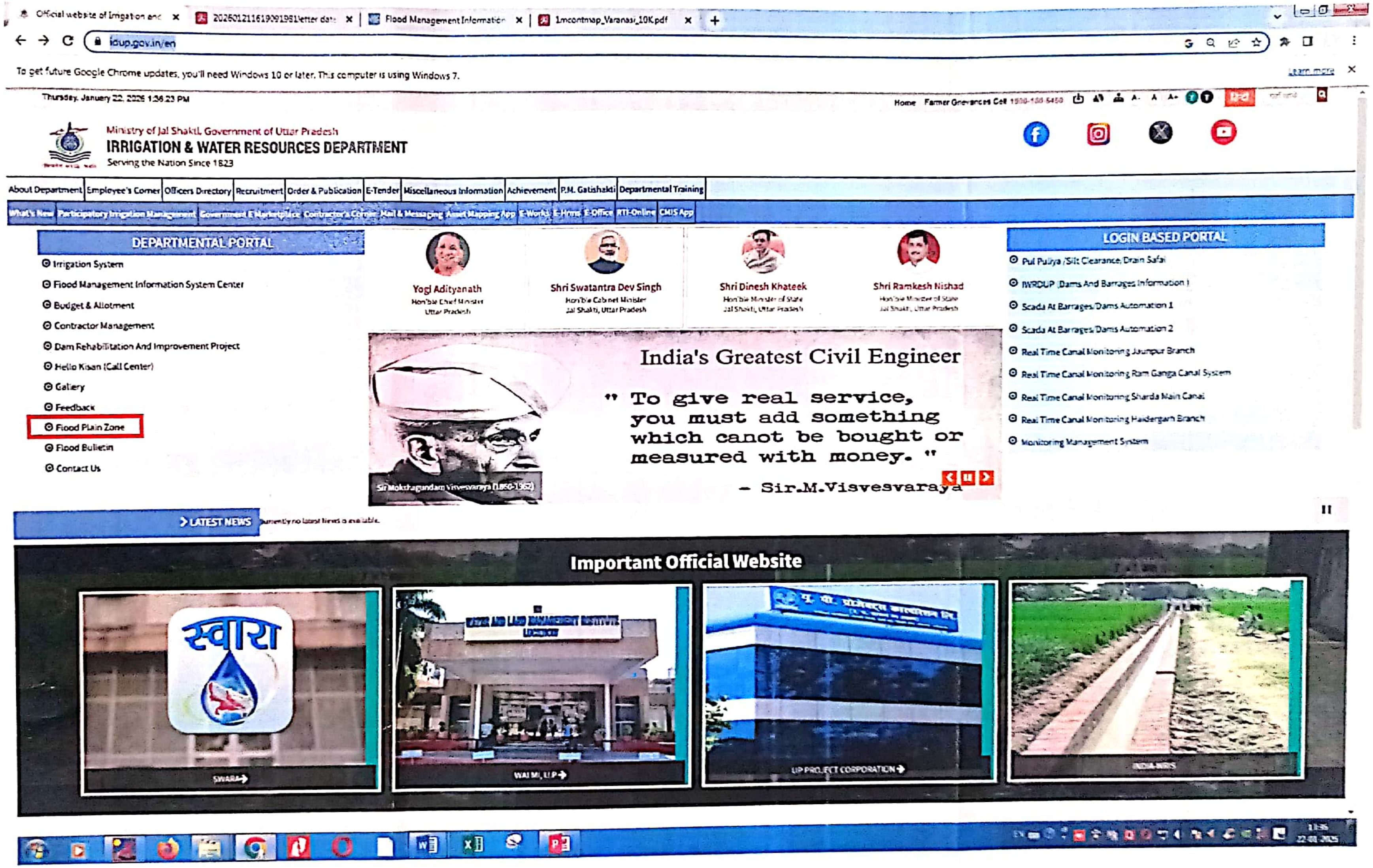

Scanned with OKEN Scanner

Flood Plain Zone | Official webs × 20260121161909198 1letter date × Flood Management Information × 1mcontmap_Varanasi_10K.pdf × +
idup.gov.in/en/page/flood-plain-zone
To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7. Learn more

Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh

IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

Serving the Nation Since 1823

Flood Plain Zone -River Ganga (Unnao to Ballia Stretch)

Flood Plain Zone -River Ganga (Unnao to Ballia Stretch)

(जनपद - कानपुर,उन्नाव,फतेहपुर,रायबरेली,कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज,मिर्ज़ापुर,भदोही,वाराणसी,चंदौली,गाज़ीपुर एवं बलिया)

(मा0 राष्टीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में NIH, Roorkee द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के मानचित्र एवं को-आर्डिनेट्स (Latitude & Longitude) एवं शासन के पत्र सं0-24/2025/107/2025-27-सिं०-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023,दिनाँक 29.01.2025 के क्रम में।)

Date	शासन के पत्र संख्या 24/2025/107/2025-27 सिं0-4-16(रिट) (एन0 जी0 टी0 /2023,दिनांक : 29.01.2025	Flood Plane Zone (Unnao to Ballia) Report -NIH Dec 2024 Maps	Flood Plane Zone(Unnao to Ballia) Report -NIH Dec 2024 Coordinates	Delineated flood plain overlaid on 1m Contour map from SOI (District-Varanasi Sheet No. G44R03N) at Scale -1:4000	Delineated flood plain overlaid on 1m Contour map from SOI (District- Varanasi Sheet No. G44R03N) at Scale -1:10000
21-01-2026	Click here to View & Download	Click here to View & Download	Click here to View & Download	Click here to View & Download	Click here to View & Download

Scanned with OKEN Scanner

fmiscup.gov.in

Flood Management Information System Centre

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

Flood Management Information System Centre
बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली केंद्र

Irrigation & Water Resources Department
Lucknow, Uttar Pradesh

Home | About Us | Portal | New Trend | Flood Book | Flood Plain Zone | Achievement | Feedback | Contact Us

Alerts — Rapti Barrage in Shravasti District crossed the danger level of 127.700 mtr. today on 15-09-2025.

Daily Rainfall Bulletin

Rivers Near & Above Danger Levels

Hydro-meteorological Status

INUNDATION MAPS

Daily Flood Bulletin

Embankment Advisory

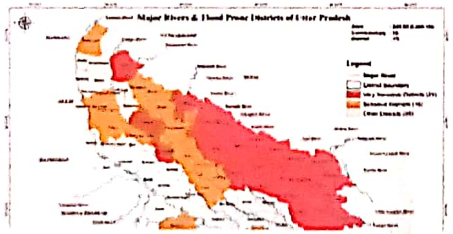

RAPTI RIVER FLOOD FORECASTING SYSTEM
Irrigation Department, Uttar Pradesh

Date 21/01/2026

A web-based application has been developed with an interface to allow users to view the forecasted Water Level(m) results under Rapti Flood Forecast System

Hon'ble Ministers

News Updates Date 21-01-2026

» Water Level Alerts :

Rapti Barrage River Rapti at Rapti Barrage in Shravasti District crossed the danger level of 127.700 mtr. today on 15-09-2025.

Scanned with OKEN Scanner

Flood Management Information System Centre

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

Flood Management Information System Centre
बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली केंद्र

Irrigation & Water Resources Department Lucknow, Uttar Pradesh

A- A A+

Home | About | Maps | Event & Activities | Newsroom | Fams Advisory Flip | Flood Book | Flood Plain Zone | Achievement | Feedback | Contact Us

Flood Plain Zone – River Ganga(Unnao to Ballia Stretch)

(जनपद – कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर एवं बलिया)

(माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में NIH, Roorkee द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के मानचित्र एवं को-आर्डिनेट्स (Latitude & Longitude) एवं शासन के पत्र सं0-24/2025/107/2025-27-सिं0-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023 दिनांक 29.01.2025 के क्रम में।)

शासन के पत्र सं0-24/2025/107/2025-27-सिं0-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023,दिनांक 29.01.2025	Flood Plain Zone(Unnao to Ballia) Report-NIH Dec2024 Maps	Flood Plain Zone(Unnao to Ballia) Report-NIH Dec2024 Coordinates	Delineated flood plain overlaid on 1m Contour Map From SOI (District-Varansi Sheet No.-G44R03N) at Scale-1:4000	Delineated flood plain overlaid on 1m Contour Map From SOI (District-Varansi Sheet No.-G44R03N) at Scale-1:10000
View PDF	View PDF	View PDF	View PDF	View PDF

Copyright

© Flood Management Information System Centre, 2023

This is the official Website of Flood Management Information System Centre, Uttar Pradesh.

Content on this website is published and managed by Flood Management Information System Centre, Uttar Pradesh. For any query regarding this website, please contact "FMISC Office"

Best Viewed in 1366 X 768 Resolution | Department Of Irrigation & Water Resources | Hit Counter 127548

Contact Info

Dr. Ram Manohar Parikalp Bhawan, First Floor, Flood Management Information System Centre,
Irrigation & Water Resources Department, Telibagh, Lucknow-226025

Reach Us